



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062026-273502
CG-DL-E-16062026-273502

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 2026/ज्येष्ठ 22, 1948

No. 397]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 2026/JYAISTHA 22, 1948

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2026

फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 3648 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: -

तालिका में,-

1. उत्तरी क्षेत्र से सम्बंधित 'क' में, हरियाणा के नीचे, क्रम संख्या 21 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"22.	फेयर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड (लोकेशन 2), पंजीकरण सं. 90/एन/एफएसएसएआई/2026 डी-28, इन्फोसिटी II, सेक्टर 33, गुरुग्राम, हरियाणा	जैविक रासायनिक";

2. पश्चिमी क्षेत्र से सम्बंधित 'ख' में,

(1) गुजरात के नीचे, क्रम संख्या 2 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"2.	एसटीसी एनालिटिकल एंड एनवायरनमेंटल सर्विसेज एलएलपी पंजीकरण सं. 7/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2014 350/ए, जीआईडीसी, मकरपुरा, वडोदरा, गुजरात, भारत	जैविक रासायनिक";

(2) मध्य प्रदेश के नीचे, क्रम संख्या 12 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"13.	खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पंजीकरण सं. 83/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2026 मंगलिया स्क्वायर, इंदौर बाईपास रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश	जैविक रासायनिक";

(3) महाराष्ट्र के नीचे,

(क) क्रम संख्या 42 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"42.	क्यूएसएस इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड पंजीकरण सं. 77/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2025 प्लॉट संख्या ए-168, रोड संख्या 25, एमआईडीसी, वागले औद्योगिक एस्टेट, ठाणे-पश्चिम, ठाणे, महाराष्ट्र, भारत	जैविक रासायनिक";

(ख) क्रम संख्या 46 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“47.	एमिनेंस एनालिटिकल प्राइवेट लिमिटेड पंजीकरण सं. 84/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2026 प्लॉट संख्या: एटीसी-27, महापे, एम.आई.डी.सी. टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, नवी मुंबई, महाराष्ट्र	जैविक रासायनिक”;

3. दक्षिणी क्षेत्र से सम्बंधित 'ग' में, केरल के नीचे, क्रम संख्या 19 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“20.	स्टैंडर्ड्स एनवायरनमेंटल एंड एनालिटिकल लैबोरेट्रीज पंजीकरण सं. 100/एस/एफएसएसएआई/2026 मानक', बिल्डिंग नंबर 338/ए, बी, सी, डी, ई, एड्यार, मुप्पाथादम पी.ओ., कोच्चि, एर्नाकुलम, केरल	जैविक रासायनिक
21.	गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला, नारियल विकास बोर्ड पंजीकरण सं. 101/एस/एफएसएसएआई/2026 दक्षिण वज़हाकुलम, अलुवा, एर्नाकुलम, केरल	जैविक रासायनिक”

राजित पुनहानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./166/2026-27]

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3648 (अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग 3, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा.सं . क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई, दिनांक 28 अप्रैल, 2026 के माध्यम से की गई थी ।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2026

F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely: -

In the table,

1. In 'A' related to NORTHERN REGION, under **Haryana**, after serial number 21, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“22.	Fare Labs Private Limited (Location 2), Reg. No. 90/N/FSSAI/2026 D-28, Infocity II, Sector 33, Gurgaon, Haryana	Biological Chemical”;

2. In ‘B’ related to WESTERN REGION,

(1) under **Gujarat**, for serial number 2, in column (1) and respective entries in column (2) & (3), the following shall be substituted, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“2.	STC ANALYTICAL AND ENVIRONMENTAL SERVICES LLP Reg. No. 7/W/FSSAI/2014 350/A, GIDC, MAKARPURA, VADODARA, GUJARAT, INDIA	Biological Chemical”;

(2) under **Madhya Pradesh**, after serial number 12, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“13.	Food Testing Laboratory, Acropolis Institute of Pharmaceutical Education and Research Reg. No. 83/W/FSSAI/2026 Mangaliya Square, Indore Bypass Road, Indore, Madhya Pradesh	Biological Chemical”;

(3) under **Maharashtra**,

(a) for serial number 42, in column (1) and respective entries in column (2) & (3), the following shall be substituted, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“42.	QSS INSPECTION AND TESTING PRIVATE LIMITED Reg. No. 77/W/FSSAI/2025 PLOT NO. A-168, ROAD NO 25, MIDC, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE, THANE-WEST, THANE, MAHARASHTRA, INDIA	Biological Chemical”;

(b) after serial number 46, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“47.	Eminence Analytical Private Limited Reg. No. 84/W/FSSAI/2026 Plot No. ATC-27, Mahape, M.I.D.C. TTC Industrial Area, Navi Mumbai, Maharashtra	Biological Chemical”;

3. In ‘C’ related to SOUTHERN REGION, under **Kerala**, after serial number 19, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“20.	Standards Environmental & Analytical Laboratories Reg. No. 100/S/FSSAI/2026 Standards', Building No. 338/A, B, C, D, E, Edayar, Muppathadam P.O., Kochi, Ernakulam, Kerala	Biological Chemical
21.	Quality Testing Laboratory, Coconut Development Board Reg. No. 101/S/FSSAI/2026 South Vazhakulam, Aluva, Ernakulam, Kerala	Biological Chemical”

RAJIT PUNHANI, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./166/2026-27]

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and last amended vide notification number F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI dated 28th April, 2026 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4.